सप्तदश बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-21.03.2025 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री पवन कुमार जायसवाल, स०वि०स० श्री विद्या सागर केशरी, स०वि०स० श्री राम सिंह, स०वि०स० श्री ललित नारायण मंडल, स०वि०स० श्री ललन कुमार, स०वि०स०	''राज्य में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अन्तर्गत वर्ष 2024-2025 में कार्य करने वाले मजदूरों को 18 दिसम्बर, 2024 से 20 मार्च, 2025 तक लगभग चार माह से मजदूरी का भुगतान नहीं होने से मजदूर त्राहिमाम हैं । उक्त अवधि का राज्य स्तर पर 9 हजार 478 करोड़ राशि, केवल पूर्वी चम्पारण जिले का 4 सौ 57 करोड़, ढाका प्रखण्ड का 7 करोड़ 24 लाख तथा घोड़ासहन प्रखण्ड का 2 करोड़ 40 लाख रूपये मनरेगा मजदूरों का मजदूरी बकाया है । अतः राज्य के मनरेगा मजदूरों का बकाया राशि शीघ्र भुगतान कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं।''	ग्रामीण विकास

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	**श्रीमती शालिनी मिश्रा, स०वि०स०** **सुश्री श्रेयसी सिंह, स०वि०स०**	''पूर्वी चम्पारण जिले के गोविन्दगंज घाट एवं गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली प्रखण्ड के सलेमपुर घाट के मध्य गंडक नदी पर महासेतु निर्माण हेतु उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना के पत्रांक-5701546 दिनांक-17.12.2019 द्वारा पूर्वी चम्पारण जिला के गोविन्दगंज घाट एवं गोपालगंज जिले के सलेमपुर घाट को जोड़ने हेतु गंडक नदी पर महासेतु के निर्माण कार्य हेतु वरीय परियोजना अभियंता बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को स्थल सर्वेक्षण करते हुए प्रस्तावित पुल का Feasibility Report देने की माँग की गयी । वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड कार्य प्रमण्डल चम्पारण (मोतिहारी) के ज्ञापांक-403, दिनांक-12.05.2000 एवं उपमुख्य अभियंता, योजना अंचल, पटना के ज्ञापांक-812, दिनांक-18.05.2020 द्वारा Feasibility Report समर्पित किया जा चुका है, परन्तु पुल निर्माण की योजना लंबित है। जबकि केन्द्र सरकार द्वारा पुल निर्माण हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति दी जा चुकी है । अतः गंडक नदी पर पुल निर्माण किये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं ।''	ग्रामीण कार्य एवं जल संसाधन

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-13/25- 185 /वि०स०, पटना, दिनांक- 20 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

रविन्द्र पंडित 20.3.25
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-13/25- 185 /वि०स०, पटना, दिनांक- 20 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

रविन्द्र पंडित 20.3.25
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-13/25- 185 /वि०स०, पटना, दिनांक- 20 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / **ग्रामीण विकास विभाग / ग्रामीण कार्य एवं जल संसाधन विभाग** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

रविन्द्र पंडित 20.3.25
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-13/25- 185 /वि०स०, पटना, दिनांक- 20 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

रविन्द्र पंडित 20.3.25
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।
20.03.2025